रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2012/आषाढ़ 27, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 98
No. 123] DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2012/ASADHA 27, 1934 [N.C.T.D. No. 98

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2012

सं. 261/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड-III के अध्याय 8 के भाग-ए में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

1. अध्याय 8 के भाग ए का नियम 4 हटाया जाता है।

नोट: यह संशोधन इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

वी.पी.वैश्य, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2012

No. 261/Rules/DHC.—In exercise of powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendment in Part-A of Chapter 8 of the High Court Rules and Orders, Volume III :—

1. Rule 4 of Part A of Chapter 8 shall stand deleted.

Note: This amendment shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By Order of the Court,

V. P. VAISH, Registrar General

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 जुलाई, 2012

सं फा. 465/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/11-12/999-1008.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अत: अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम चरण-III के अंतर्गत भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण एवं आजाद पुर में रिंग रोड तथा जी.टी. रोड से स्टेशनों को सम्बद्ध करने हेतु 47.40 हैक्टेयर भूमि के भीतर पड़ने वाले 376 पेड़ों को हटाने संबंधी उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार छूट प्रदान करते हैं:—

1. दिल्ली मेट्रो रेल निगम को 3760 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण लागत राशि 1,05,28,000 रुपये (एक करोड़ पाँच लाख अठ्ठाईस हजार रुपये मात्र) उप-वन संरक्षक (पश्चिम) के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव के लिए डीडीओ एवं उप-वन संरक्षक (उत्तर) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।

2. दिल्ली मेट्रो रेल निगम, वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली नगर निगम के सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु उनके संबंधित कर्मचारियों को सौंपेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 18th July, 2012

No. F. 465/WFD/COT/11-12/999-1008.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary so to do in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to exempt an area of 47.40 Ha. from the provisions of sub-section (3) of Section 9 of the said Act, for construction of Underground Metro Station and providing connectivity to the stations from Ring Road and GT Road at Azadpur under MRTS Phase-III involving removal of 376 trees, subject to the condition that :—

1. DMRC shall deposit the cost of compensatory plantation of 3760 saplings amounting to Rs. 1,05,28,000 (Rupees one crore five lakh and twenty eight thousand only) in the form of demand draft in favour of DDO and Dy. Conservator of Forests (North) for its creation and maintenance for a period of five years, with Dy. Conservator of Forests (West).

2. DMRC shall hand over the wood arising out of the felling of trees to officials concerned of MCD for its use in public crematoria in public interest.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 18 जुलाई, 2012

सं. फा. 31/600/श्रमा./स्था./08/1857.—औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 फरवरी, 1958 की अधिसूचना सं. का. आ. 108 के साथ पठित बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में जारी सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री आर. एस. सिंह मुख्य निरीक्षक कारखाना को तत्काल उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये मुख्य निरीक्षक बॉयलर एवं स्मोक न्यूसेंस के रूप में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

इसके अतिरिक्त बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री आर. एन. दहिया, उप-मुख्य निरीक्षक कारखाना को तत्काल उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए निरीक्षक बॉयलर के रूप में नियुक्त करते हैं।

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 18th July, 2012

No. F. 31/600/LC/Estt./08/1857.—In exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Boilers Act, 1923 read with Government of India, Ministry of Industrial Development Notification No. S.O. 108 dated 14th February, 1958 and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri R.S. Singh, Chief Inspector of Factories as Chief Inspector of Boilers and Smoke Nuisances for the National Capital Territory of Delhi for the purposes of the said Act, with immediate effect till further orders.

Further, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Boilers Act, 1923, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi appoints Shri R. N. Dahiya, Dy. Chief Inspector of Factories, as Inspector of Boilers for the National Capital Territory of

Delhi for the purposes of the said Act, with immediate effect till further orders.

सं. फा. डीएलसी/सीएलए/बीसीडब्ल्यू/99/736.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या यू. 11030/1/2000-यूटीएल के साथ पठित भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तें का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित विशषेज्ञ समिति के साथ परामर्श करके इसके द्वारा दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियमावली, 2002 का संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तें का विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

नियम 266(2) का संशोधन.— दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तें का विनियमन) नियमावली, 2002 (इसके बाद 'मूल नियमावली' के रूप में संदर्भित) के नियम 266 के उप-नियम (2) मेंखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) उक्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अभाव में कामगार का एक शपथ पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि/आयु का उल्लेख हो और नोटरी पब्लिक से विधिवत सत्यापित हो।"

नियम 266(4) में संशोधन.— मुख्य नियमावली के नियम 266 में उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"266(4) निधि से लाभान्वित होने की पात्रता के लिए प्रत्येक भवन कामगार फार्म सं XXVII में सचिव या उसके द्वारा इस आशय के लिए अधिकृत अधिकारी को आवेदन देगा। ऐसे आवेदन के साथ इस नियम में उल्लिखित दस्तावेज तथा पांच रुपये का पंजीकरण शुल्क होगा।"

नियम 267(1) में संशोधन.— मुख्य नियमावली के नियम 267 में उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1) निधि का लाभाग्राही प्रतिवर्ष निधि में पच्चीस रुपये अंशदान करेगा।"

नियम 283 का संशोधन.— मुख्य नियमावली के नियम 283(क) के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम 283(ख) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"283(ख)-कल्याणकारी साधनों की स्वीकृति तथा लाभार्थियों को सुविााए:— बोर्ड पंजीकृत कामगारों की उत्पादकता में सुधार लाने तथा उनके परिवार की आमदनी बढ़ाने हेतु अपेक्षित कल्याणकारी साधनों तथा सुविधाओं की संस्वीकृति प्रदान कर सकेगा:

बशर्ते कि बोर्ड इन कल्याणकारी साधनों तथा सुविधाओं हेतु लाभार्थियों की पहचान, उनके लक्ष्यों का चयन, खरीद की पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन, कल्याणकारी साधनों तथा सुविधाओं के वितरण एवं खर्च के विस्तृत दिशा-निर्देश तथा निर्देश विधिवत स्पष्ट और अधिसूचित करें : यह भी उपबंध है कि लाभार्थियों को उक्त निधि का सदस्य बनने के केवल एक वर्ष बाद ही दिए जायेंगे तथा इन कल्याणकारी साधनों तथा सुविधाओं के आवर्तन का निश्चय बोर्ड करेगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शक्ति सिन्हा, प्रधान सचिव

No. F. DLC/CLA/BCW/99/736.—In exercise of the powers conferred by Section 62 of the "Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11030/1/2000-UTL, dated the 14th July, 2000, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Expert Committee constitued under Section 5 of the said Act, hereby makes the following rules

to amend the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002, namely :—

RULES

Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Servic (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment of rule 266(2).— In the Delhi building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002 (hereinafter referred toas "the principal Rules"), in rule 266, in sub-rule (2) after Clause (iii), the following shall be inserted, namely :—

"(iv) In the absence of the above certificates/documents an affidavit by the worker, mentioning his/her date of birth/age, duly attested by the Notary Public."

Amendment of rule 266(4)— In the principal rules, in the rule 266, for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely :—

"266(4) Every building worker eligible to become a beneficiary to the Fund shall submit an application in Form No. XXVII to the Secretary or to an officer authorized by him in this behalf. Every such application shall be accompanied by the documents mentioned in this rule and a registration fee of five rupees."

Amendment of rule 267(1).— In the principal rules, in rule 267, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) A beneficiary of the fund shall contribute the fund twenty rupees per annum."

Amendment of rule 283.— In the principal rules, after rule 283 (A), the following new rule 283 (B) shall be inserted, namely :—

"283(B) Sanction of welfare measures and facilities to Beneficiaries: "The Board may sanction such welfare measures and facilities as may be required for the benefit of registered workers for improvement of their productivity and enhancement of earning in their families:

Provided that, detailed guidelines and instructions relating to identification of beneficiaries, their objective selection, observance of transparent procedure of procurement, distribution and disbursement of such welfare measures and facilities are duly drawn and notified by the Board :

Provided further that, the above benefits shall be disbursed only after one year of the beneficiary becoming member of the fund and the periodicity of such welfare measures and facilities shall be decided by the Board."

By Order and in the Name of the Lt. Governor,

of the National Capital Territory of Delhi,

SHAKTI SINHA, Prl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.